राज्यपाल सचिवालय,
राजभवन, जयपुर

क्रमांकः प.20( )राभ/गार्डन/खाद/79/8184 दिनांक 15 अक्टूबर, 2018

सीमित निविदा विज्ञप्ति

राजभवन जयपुर उद्यान के लिए 320 घन फुट मिंगनी (GOAT DUNGE) **की खाद** आपूर्ति के लिए दरें/निविदाऐं एफ.ओ.आर. राजभवन आमंत्रित की जाती हैं, निविदा प्रपत्र एवं निविदा की शर्तें राजभवन की वेबसाईट www.rajbhawan.rajasthan.gov.in पर दिनांक 15.10.2018 को 05.00 बजे से डाउनलोड की जा सकती है। जो दिनांक 22.10.2018 दोपहर 02.00 बजे तक बन्द लिफाफे में कन्ट्रोलर, राज्यपाल हाउसहोल्ड, राजभवन, जयपुर के नाम प्रस्तुत की जा सकती है। प्राप्त निविदा दिनांक 22.10.2018 को दोपहर 3.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष राजभवन कार्यालय में खोली जावेगी। सफल निविदादाता को कार्यादेश जारी होने के 10 दिवस में सामान की आपूर्ति करनी होगी। कार्य की अनुमानित लागत राशि रूपये 33000/– समस्त कर सहित होगी।

कन्ट्रोलर,
राज्यपाल, हाउसहोल्ड
राजभवन, जयपुर

क्रमांकः प.20( )राभ/गार्डन/खाद/79/8185 दिनांक 15 अक्टूबर, 2018

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान् वित्तीय सलाहकार ,राज्यपाल सचिवालय ,राजभवन, जयपुर।
2. श्री विजय सिंह प्रोग्रामर ,राज्यपाल सचिवालय ,राजभवन, को राजभवन की साईट www.rajbhawan.rajasthan.gov.in पर अपलोड करने हेतु।
3. नोटिस बोर्ड ,कार्यालय
4. रक्षित पत्रावली

कन्ट्रोलर,
राज्यपाल, हाउसहोल्ड

राज्यपाल सचिवालय,
राजभवन, जयपुर

प्रेषक :–
सचिव,
राज्यपाल, राजस्थान,
राजभवन, जयपुर।

सीमित बोली प्रपत्र

राजभवन जयपुर उद्यान के लिए 320 घन फुट मिंगनी (GOAT DUNGE) की खाद सप्लाई दरों बाबत ।

बोलीदाता का नामः–..

पताः–..

क्रम सं0	कार्य का विवरण	निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दर प्रति घन फुट रूपये
1.	मिंगनी (GOAT DUNGE) की खाद	

नोटः–दर एफ.ओ.आर.राजभवन है ।

दिनाकं

निविदादाता के हस्ताक्षर
एवं पूर्ण पता मय फोन नम्बर

राज्यपाल सचिवालय
राजभवन, जयपुर

निविदा की शर्तें

कार्य का नामः– राजभवन जयपुर उद्यान के लिए 320 घन फुट मिंगनी (GOAT DUNGE) की खाद सप्लाई बाबत ।

1. राजभवन में .खाद पूर्णतया मिंगनी की उपलब्ध करानी होगी।
2. मिंगनी (GOAT DUNGE) की खाद दरें एफ.ओ.आर. राजभवन जयपुर है।
3. कार्य राजभवन द्वारा इस हेतु अधिकृत अधिकारी के निर्देशन में करना होगा।
4. कार्यादेश की दिनाकं से अधिकतम 10 दिवस में मिंगनी खाद कार्य दिवस में सप्लाई करनी होगी।
5. खाद में किसी प्रकार की मिलावट पाये जाने पर स्वीकार नही की जावेगी।
6. खाद की नाप खाद लाने वाले वाहन में की जावेगी।
7. निविदा प्रपत्र सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा। निविदा डाक व तार द्वारा मान्य नहीं होगी। निविदा दर सिर्फ स्याही के पेन से भरी जावे उसमें कोई काट–छांट ना हो। किसी प्रकार के सुधार पर अपने लघु हस्ताक्षर करें।
8. यदि अनुमोदित ठेकेदार अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्य सम्पादित करने में असफल रहा तो ठेका तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा।
9. ठेकेदार ठेके को या उसके किसी भाग को अन्य किसी ठेकेदार/संस्था को नहीं देगा अर्थात सबलेट नहीं करेगा।
10. विभाग को यह अधिकार होगा कि वह न्यूनतम दर वाले प्रस्ताव के अतिरिक्त अन्य किसी प्रस्ताव को स्वीकार्य कर सकता है तथा किसी भी निविदा को बिना किसी कारण बताए निरस्त कर सकता है।
11. ठेका संबंधी समस्त पत्राचार कन्ट्रोलर, **राज्यपाल,हाऊस होल्ड,राजभवन जयपुर**, के नाम करना होगा एवं ठेके के संबंध में किसी भी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही जयपुर में ही मान्य होगी।
12. उक्त ठेके के अनुबंध में यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हुआ तो उसका अंतिम निर्णय श्रीमान सचिव, राज्यपाल राजस्थान, जयपुर का मान्य होगा।
13. राज्य सरकार द्वारा समय –समय पर लागू नियमों की पालना करनी होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर
एवं पूर्ण पता मय फोन नम्बर